न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

तहसीलदार, धोद बनाम फूससिंह आदि

किस्म मुकदमा धारा 131, 132 भू.रा.अ., 1956 मु.नं. 328 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
29/5/2025	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी (फूससिंह) को जारी नोटिसे की तामील रिपोर्ट के अनुसार उक्त पर तामील पूर्ण होने के बावजूद अनुपस्थित। अतः उक्त के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। समग्र पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प.3 (2) राज–6/2003/पार्ट–04 दिनांकः 10.08.2016 व प.3 (17) राज–6/ 2021/पार्ट/91 दिनांकः 30.09.2021 व राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के पत्र क्रमांकः प.4(10) राज–6/2024 जयपुर, दिनांकः 06.09.2024 की पालना में तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/842 दिनांक 20.05.2025 के द्वारा राजस्व ग्राम गुनाठूं पटवार हल्का गुनाठूं तहसील धोद जिला सीकर के आराजियात खसरा सं. 521, 524, 527, 528 में से प्रा.पत्र धारा 131 व 132 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 बाबत् रास्ता में निहित प्रावधानानुसार प्रस्तावित रास्ता को राजस्व अभिलेख में स्थायी अंकन हेतु प्रस्ताव मय राजस्व अभिलेख एवं नजरी नक्शा रिपोर्ट पत्रादि के साथ प्राप्त हुआ।

सम्पूर्ण पत्रावली मय दस्तावेजात आदि का अवलोकन करने से यह ज्ञात हुआ कि उक्त प्रस्ताव में पटवार हल्का रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित/प्रचलित सार्वजनिक रास्ता को संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दिखाया गया है। उक्त प्रस्ताव में भू.अभिलेख निरीक्षक वृत शाहपुरा की रिपोर्ट के अनुसार मुताबिक रिपोर्ट पटवारी सार्वजनिक रास्ता जो संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है। रास्ता हेतु रिकॉर्ड में अमल किये जाने बाबत प्रस्तावित है तथा मुताबिक तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम गुनाठूं पटवार हल्का गुनाठूं तहसील धोद जिला सीकर के आराजियात खसरा सं. 521, 524, 527, 528 में से प्रस्तावित रकबा सार्वजनिक रास्ता के रूप में से दर्ज किये जाने बाबत अभिशंषा की है।

सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तावित रास्ते के संबंध में अप्रार्थी/खातेदार को अपना कथन/पक्ष/साक्ष्य पेश करने बाबत नोटिस जारी किये गये। जो कि बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर उक्त के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। प्रकरण में प्रस्तावित रास्ता प्रस्ताव मय दस्तावेजात आदि का भी गहनता से अवलोकन से स्पष्ट रूप से जाहिर है कि प्रकरण में प्रस्तावित रास्ता के संबंध में भूमिधारी तहसीलदार, धोद के द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ते के संबंध में प्राप्त रिपोर्ट्स अनुकूल प्रतीत होती है। समग्र रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट के अवलोकन से जाहिर है कि हस्तगत प्रकरण में भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के तहत रास्ता प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित रास्ता के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव मय दस्तावेजात से जाहिर है कि राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प.3 (2) राज–6/2003/पार्ट–04 दिनांकः 10.08.2016 व प.3 (17) राज–6/2021/पार्ट/91 दिनांकः 30.09.2021 व राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के पत्र क्रमांकः प.4(10) राज–6/2024 जयपुर, दिनांकः 06.09.2024 में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखा जाकर ही हस्तगत रास्ता के संबंध में तहसीलदार, धोद से प्राप्त उक्त रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार मुताबिक रास्ता प्रस्तावित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा आमजन व खातेदारों को पूर्व से प्रचलित

उपखण्ड अधिकारी न्यायालय जिला-सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

तहसीलदार धोद बनाम फूलसिंह आदि

किस्म मुकदमा धारा 131,132 PR अधि.1956 मु.नं. 328 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
	रास्तों को गै.मु. दर्ज किया जाकर खातेदारान को राहत प्रदान करने की मंशा रखती है। अतः उपर्युक्त विवेचन के अनुसार हस्तगत रास्ता प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः राज्य सरकार के खातेदारान को रास्ते के संबंध में दिये गये आदेशों व निर्देशों के मध्यनजर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानानुसार तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/842 दिनांक 20.05.2025 के द्वारा राजस्व ग्राम गुनाठूं पटवार हल्का गुनाठूं तहसील धोद जिला सीकर के आराजियात खसरा सं. 521, 524, 527, 528 में से प्रस्तावित रास्ते की भूमि (प्रस्ताव में अंकित रकबे के अनुसार) रास्ता राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ता को गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि को राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरकरण रास्ता पृथक से दर्ज करते हुए, रास्ता के रकबा की किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज किया जावें एवं प्रस्तावित नक्शानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे। गै.मु. रास्ता की भूमि संबंधित खातेदारान् के खाते में ही बनी रहेगी। तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/842 दिनांक 20.05.2025 से प्राप्त हस्तगत रास्ता प्रस्ताव मय नजरी नक्शा रिपोर्ट आदेश का भाग रहेगा, तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, धोद को लिखा जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर (मुहर: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला–सीकर (राज.); उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर)